भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलूर (भाप्रसंबें)
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम

दिशानिर्देश

सामान्य सूचना

प्रस्तावना

कार्यस्थल या कक्षा कक्ष में महिलाओं का यौन उत्पीड़न मानवाधिकारों तथा अन्य कानूनों का उल्लंघन है। यह अनिवार्य है कि वह यौन उत्पीड़न के व्यवहार की पहचान करने में समर्थ हो तथा पता हो कि इससे किस तरह निपटना है। यह व्यक्ति के लिए और संस्थान के रूप में भाप्रसंबें के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।

भाप्रसं बेंगलूर का दृष्टिकोण

भाप्रसंबें महिलाओं के यौन उत्पीड़न से निपटने के संवैधानिक अधिदेश का पालन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि जो इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं उन सभी के मानवाधिकारों की रक्षा हो। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मुद्दे से निपटने के तंत्र के रूप में 2014 में आंतरिक समिति का गठन किया गया।

आंतरिक समिति की भूमिका

उक्त समिति की भूमिका इस प्रकार है:

- यौन उत्पीड़न की शिकायतों का संज्ञान लेना, जांच संचालित करना, पीड़ितों को सहायता एवं निवारण प्रदान करना, उत्पीड़क के खिलाफ उठाए जाने वाले कदम की सिफारिश करना, यदि आवश्यक हो।
- पीड़ित को (परामर्श, सुरक्षा एवं अन्य सहायता के रूप में) उपयुक्त मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक एवं भौतिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्थाओं की सिफारिश करना, यदि वह ऐसा चाहता है/चाहती है।
- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण पर आवधिक कार्यक्रमों एवं व्याख्यानों, यदि अपेक्षित हों, की व्यवस्था करके संस्थान में सौहार्दपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास करके निवारक की भूमिका निभाना।

आपको क्यों परवाह करनी चाहिए ?

- छात्र/स्टाफ सदस्य के रूप में आप संभावित पीड़ित हो सकते हैं। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि यौन उत्पीड़न की पहचान कैसे करें और इससे कैसे निपटें।

- आप उत्पीड़क के रूप में भी हो सकते हैं I आपकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की है कि आपका व्यवहार उपयुक्त हो I
- उत्पीड़क के रूप में देखे गए किसी छात्र के लिए संभावित परिणाम–चेतावनी, लिखित क्षमा याचना, छात्रावास/परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध, एक निश्चित अवधि के लिए निलंबन, परीक्षाओं में बैठने पर प्रतिबंध, समितियों के सदस्य के रूप में पद धारित करने पर प्रतिबंध या निष्कासन के रूप में अनुशासनिक कार्रवाई हो सकती है I
- उत्पीड़क के रूप में देखे गए किसी स्टाफ के लिए संभावित परिणाम – चेतावनी, लिखित क्षमा याचना, वेतन वृद्धि पर रोक, पदोन्नति पर रोक, परिसर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध, एक निश्चित अवधि के लिए निलंबन, समितियों के सदस्य के रूप में पद धारित करने पर प्रतिबंध या बर्खास्तगी के रूप में अनुशासनिक कार्रवाई हो सकती है I

उद्देश्य

1. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण के बारे में जानकारी बढ़ाना।
2. सभी पणधारियों को इस आशय की जानकारी प्रदान करना कि यौन उत्पीड़न से पीड़ित को मानसिक एवं शारीरिक नुकसान पहुँच सकता है I
3. शैक्षणिक समुदाय में यौन उत्पीड़न के बारे में वार्तालाप को बढ़ावा देना I
4. यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करना I

यौन उत्पीड़न क्या है ?

- अवांछनीय यौन प्रस्ताव, यौन अनुग्रह के लिए अनुरोध, यौन प्रकृति के अन्य मौखिक या शारीरिक आचरण जैसे कि द्विअर्थी टिप्पणियां, टीका–टिप्पणी या परिहास, पत्र, फोन कॉल या ईमेल, गंदे इशारे, अश्लील साहित्य दिखाना, अश्लील नज़रों से देखना, शारीरिक संपर्क, पीछा करना, अनादरपूर्ण ध्वनियाँ या हावभाव I
- जब कोई व्यक्ति यौन प्रयोजन से अगले व्यक्ति की सहमति के बगैर अथवा उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध शरीर या उसके किसी भाग या किसी अन्य वस्तु का प्रयोग अन्य व्यक्ति के संबंध में शरीर के विस्तार के रूप में करता है, तो ऐसे व्यवहार को यौन हमला माना जाएगा।
- जब निंदात्मक टिप्पणियाँ, आचरण या ऐसा कोई व्यवहार व्यक्ति की लैंगिक पहचान/यौन झुकाव पर आधारित होता है और/या जब भाप्रसंबें के शिक्षण कक्ष या अन्य सार्वजनिक मंच का प्रयोग व्यक्ति (व्यक्तियों) के विरुद्ध भेदभाव करने/बदनाम करने या व्यक्ति की लैंगिक पहचान/यौन झुकाव के आधार पर प्रतिकूल माहौल सृजित करने के लिए किया जाता है I

कब ?

- शिक्षण/मार्गदर्शन, रोजगार, भागीदारी या भाप्रसंबें की किसी गतिविधि में किसी व्यक्ति की तैनाती के मूल्यांकन की शर्त या नियम की दृष्टि से स्पष्ट या प्रच्छन्न रूप से ऐसे आचरण के प्रति आत्मसमर्पण किया जाता है।
- ऐसे आचरण का प्रयोजन या प्रभाव व्यक्ति के निष्पादन में दखल देना या डरावना, प्रतिकूल माहौल सृजित करना या डरावना, प्रतिकूल या अप्रिय माहौल सृजित करना है।

यौन उत्पीड़न

मौखिक : अवांछनीय टिप्पणियाँ/यौन विशेषण

दृश्य : अप्रिय तस्वीरें/फोटो/कार्टून

शारीरिक : अवांछनीय शारीरिक संपर्क, बहुत करीब खड़ा होना/आसक्त नजर/उद्दीपक भंगिमाएँ ।

लिखित : अवांछनीय निजी पत्र/ईमेल ।

भाप्रसंबें की नीति की प्रयोज्यता

- शिकायतें की गई हैं ।
- भाप्रसंबें के किसी सदस्य द्वारा भाप्रसंबें के किसी अन्य सदस्य के विरुद्ध ।
- भाप्रसंबें के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी आवासी द्वारा या किसी निवासी के विरुद्ध किसी सदस्य द्वारा ।
- भाप्रसंबें के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा या किसी बाहरी व्यक्ति के विरुद्ध भाप्रसंबें के किसी सदस्य द्वारा ।
- इस बात पर ध्यान दिए बगैर कि परिसर के अंदर या बाहर यौन उत्पीड़न के घटित होने का आरोप लगाया गया है ।
- भाप्रसंबें के सदस्य
- छात्र
- शिक्षक
- गैर-शिक्षण कर्मचारी
- निवासी – भाप्रसंबें के किसी सदस्य को आबंटित किसी परिसर का स्थायी या अस्थायी आवास ।
- बाहरी व्यक्ति – कोई व्यक्ति जो सदस्य या आवासी नहीं है ।
- इस बात पर ध्यान दिए बगैर कि शिकायत एक दर एक या अनेक व्यक्तियों के संदर्भ में, उदाहरण के लिए कक्षा कक्ष के संदर्भ में की गई है ।

उदाहरण

- कक्षा कक्ष में किसी लिंग के बारे में बारबार एवं अनावश्यक अपमानजनक टिप्पणियाँ ।
- लगातार अवांछनीय यौन ध्यानाकर्षण (किसी व्यक्ति के यौन या यौन जीवन के बारे में टिप्पणियां, प्रश्न) ।
- प्रोफेसर, पर्यवेक्षक, सहकर्मी या साथी छात्र द्वारा व्यक्ति के अपने यौन जीवन या इच्छाओं के विषय में लगातार एवं अनावश्यक टिप्पणियाँ ।
- लगातार अवांछित शारीरिक संपर्क जैसे कि किसी के विरुद्ध रगड़ना ।
- अवांछित यौन गतिविधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धमकाना/प्रलोभन देना ।
- यौन इशारे।
- यौन प्रकृति के दखलपूर्ण प्रश्न ।
- यौन प्रकृति की उद्दीपक ध्वनियाँ या भंगिमाएँ ।
- अवांछित डेटिंग के लिए बारबार अनुरोध ।
- यौन प्रकृति के परिहास या ऐसे परिहास जो व्यक्तियों को अपमानित करते हैं जो उनके लिंग पर आधारित होते हैं ।
- किसी व्यक्ति की कामुकता के बारे में अफवाह फैलाना ।
- यौन प्रकृति की आरेखीय सामग्रियाँ प्रदर्शित करना ।
- अनुपयुक्त स्पर्श ।

आपको यौन उत्पीड़न के बारे में **7** बातों की जानकारी होनी चाहिए

- जो व्यवहार यौन उत्पीड़न के रूप में माने जा सकते हैं उनमें अश्लील टिप्पणियाँ या भंगिमाएँ, लगातार अवांछित यौन ध्यानाकर्षण, यौन प्रकृति के परिहास, पीछा करना और यौन हमला शामिल हैं ।
- उत्पीड़क सम्मानित, प्रतिभावान तथा प्रिय व्यक्ति हो सकते हैं । वे अक्सर पीड़ित पर प्राधिकार, प्रभाव या अधिकार के पद पर होते हैं ।
- पीड़ित कोई पुरुष या महिला हो सकती है । पीड़ित समान लिंग वाला हो सकता है । यौन उत्पीड़न समान लिंग वाले व्यक्तियों के बीच घटित हो सकता है, भले ही उनमें से कोई समान लिंग के व्यक्ति के प्रति यौन दृष्टि से आकर्षित न हो ।
- यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित ऐसा व्यक्ति हो जिसका उत्पीड़न हुआ है अपितु अप्रिय व्यवहार से प्रभावित कोई भी हो सकता है ।
- कुछ व्यवहार से किसी का उत्पीड़न हो सकता है परंतु अन्यों का नहीं हो सकता है । यौन उत्पीड़न के निर्धारण में न्यायालयों द्वारा अक्सर यह पूछा जाता है कि "यह किसी तर्कसंगत व्यक्ति को कैसा दिखेगा"?
- उत्पीड़न के रूप में माने जाने के लिए व्यवहार अवांछित या अप्रिय होना चाहिए ।
- अप्रिय आचरण में शामिल अनेक व्यक्ति ऐसा आचरण बंद कर देते हैं जब उनसे ऐसा न करने के लिए कहा जाता है ।

कैसे जवाब दें **?**

- जब तक मुकाबला नहीं किया जाता है, उत्पीड़न के रुकने की संभावना नहीं होती है ।
- उत्पीड़न को रोकने हेतु कदम उठाने के लिए भाप्रसंबें समुदाय के ऐसे सभी सदस्यों की सहायता करता है और प्रोत्साहित करता है जो यह मानते हैं कि उनका यौन उत्पीड़न हो रहा है ।

आप जो कदम उठा सकते हैं

- उत्पीड़क को बताएँ कि उसका आचरण अप्रिय एवं अवांछित है ।
- उत्पीड़क के साथ अपने किसी मौखिक या लिखित संचार का रिकार्ड रखें ।
- यह आवश्यक नहीं है कि आप निजी तौर पर उत्पीड़क का मुकाबला करें । यदि आप असहज महसूस करें, तो सहायता प्राप्त करें ।

जब आपको सहायता की जरूरत हो...

- आंतरिक समिति (आईसी) के किसी सदस्य से बात करें या ईमेल करें।
- आंतरिक समिति (आईसी) के किसी सदस्य को मौखिक या लिखित रूप में ic@iimb.ernet.in पर शिकायत करें ।
- याद रखें, ... शिकायत दर्ज करने पर आपके कैरियर/ग्रेड/शैक्षणिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

शिकायतों का क्या होता है ?

- यदि व्यथित व्यक्ति चाहता है, तो आंतरिक समिति सुलह के माध्यम से शिकायतकर्ता और प्रतिवादी के बीच मामले को सुलझाने के लिए कदम उठा सकती है । यदि मामला सुलझ जाता है, तो आंतरिक समिति सुलह का रिकार्ड तैयार करेगी और किसी अग्रेतर कार्रवाई की सिफारिश नहीं करेगी ।
- जहाँ व्यथित व्यक्ति सुलह के लिए अनुरोध नहीं करता है, आंतरिक समिति जाँच शुरू करती है ।
- आंतरिक समिति जाँच पूरी करेगी और एक माह के अंदर निदेशक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।
- निदेशक रिपोर्ट प्राप्त होने के 10 दिन के अंदर कार्रवाई शुरू करेंगे ।

जाँच के दौरान

- सभी कार्यवाहियों को गोपनीय रखा जाएगा ।
- यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएँगे कि शिकायतकर्ता एवं गवाहों के विरुद्ध कोई भेदभाव न हो अथवा प्रतिवादी द्वारा उनको दंडित न किया जाए ।

भाप्रसं बेंगलूर आपसे क्या अपेक्षा रखता है

- उपयुक्त आचरण करें।
- यदि आपका सामना यौन उत्पीड़न से हो, तो उसके बारे में बताएँ।
- सभी के लिए सुरक्षित एवं सम्मानपूर्ण माहौल प्रदान करने में भाप्रसंबें की मदद करें।